रिक्ति परिपत्र

सं. ए/15698/डी–12/मु प्र अ/भर्ती–1

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सचिव (प्रशि.) एवं मु प्र अ का कार्यालय

कमरा संख्या 170 ,ई– ब्लॉक
डलहौजी रोड
नई दिल्ली– 110011
दिनांकः 05 फरवरी 2016

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
सभी राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव

विषयः– सशस्त्र सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) आधार पर उप प्रबंधक (फोटो लिथो) के एक पद को भरा जाना

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय/अन्तर सेवा संगठन, रक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित शर्तों पर प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर ₹ 9300 – 34800 (वे.ब. -2) + ग्रेड वेतन ₹ 4600 के वेतनमान में उप प्रबन्धक(फोटो लिथो) (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय) के एक पद को भरा जाना है :–

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रा प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :–

(क)(।)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(।।) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड–2 के वेतनमान 9300–34800 रू. और ग्रेड वेतन 4200 रू. में नियमित आधार नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :–

(।) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी या फोटोलिथोग्राफी या लिथोग्राफी में डिप्लोमा ।

पृष्ठ 2..../

(II)किसी मुद्रणालय या स्थापन में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसके अंतर्गत फोटोलिथोग्राफी में पर्यवेक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव है ।

2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

3. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधरणतया तीन वर्ष से अध्कि नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए ;जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/8/2009-Estt(Pay II) दिनांक 17–6–2010 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी।

4. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधर पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधरण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

5. अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में ऐसे अधिकारियों जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सके के आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) पूर्ण एवं अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोसियरों अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो /ए पी ए आर की फोटोप्रतियों सहित (जो कम से कम अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित)इस विज्ञापन के प्रकाषित होने की तारीख से **60** दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए । देरी से पहुँचने वाले, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो/ए पी ए आर, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र,संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की अनापत्ति (कैडर क्लीयरेसं), सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर अथवा किसी अन्य प्रकार से अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया

पृष्ठ 3..../

जाना चाहिए कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता संबंधी मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है । यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि अधिकारी की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा संतोषजनक है एवं पिछले 10 वर्षों में उस पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया हे ।

6. जीवनवृत्त का प्रारूप पत्र हमारी वेबसाइट www.caomod.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

टिप्पणी :– पद के लिए एक बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

भवदीय,

(जेड एस कोईरेंग)
उप निदेशक, मुप्रअ/भर्ती–1 एवं 3
कृते संयुक्त सचिव (प्रशि.) एवं मुप्रअ

प्रतिलिपि :–

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना)
वा से मु/पी सी– 1
एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, (नौसेना)/प्रशा. निदे
अंतर सेवा संगठनों के सभी समन्वय अनुभाग
सं.स.(प्रशि.) एवं मु प्र अ कार्यालय के सभी अनुभाग
संयुक्त बीजलेख ब्युरो, रक्षा मंत्रालय, मेटकाफ भवन, दिल्ली – 54
मु प्र अ/का– 2 – सूचनार्थ
मुप्रअ/ई डी पी : मुप्रअ कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतू ।

जीवन–वृत्त

1. नाम एवं पता :
(साफ–साफ अक्षरों में)

2. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में) :

3. केंद्र / राज्य सरकार के नियमाधीन सेवानिवृत्ति की तारीख :

4. शैक्षिक योग्यताएँ :

5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ पूरी होती हैं ? (यदि कोई योग्यता नियमों में निर्धारित योग्यताओं के समतुल्य मानी गई तो उसके लिए प्राधिकार प्रस्तुत करें ।)

	अपेक्षित योग्यताएँ / अनुभव	अधिकारी की योग्यता / अनुभव
आवश्यक :	(1)	
	(2)	
	(3)	
वांछित :	(1)	
	(2)	

6. कृपया बताएँ कि क्या आपके द्वारा ऊपर दी गई जानकारियों को ध्यान में रखते हुए आप पद के लिए अपेक्षित योग्यताएँ पूरा करते हैं ?
:

7. कालक्रम से नियोजन के ब्यौरे दें । यदि नीचे दिया गया स्थान कम पड़े तो अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित एक अलग पृष्ठ संलग्न करें) :

कार्यालय / संस्थान	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन / वेतन बैन्ड व ग्रेड वेतन#	कार्य की प्रकृति (विस्तार से)

 # 6वे वेतन आयोग के पहले का वेतन व वेतनमान और पश्चात, का बेसिक वेतन के साथ वेतन बैन्ड व वेतन ग्रेड भी अलग अलग दर्शाएं ।